रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262657
CG-DL-E-24042025-262657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2025/वैशाख 4, 1947
No. 1817] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2025/VAISAKHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

का.आ. 1850(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'मैसूर पैलेस बोर्ड' (PAN: AAAGM0484M), जो मैसूर पैलेस (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1998 के तहत स्थापित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड से उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) पैलेस से आय या बोर्ड में निहित किसी भी संपत्ति से आय;

(ख) मैसूर पैलेस (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1998 के तहत बोर्ड द्वारा लगाए गए सभी शुल्क और प्रभार जो बोर्ड निधि का हिस्सा बनते हैं;

(ग) सरकारी एजेंसियों को किराये पर दी गई दुकानों/स्टॉलों से प्राप्त किराया; और

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि मैसूर पैलेस बोर्ड –

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलापों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए संगत होगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना संख्या 39/2025/फा. सं. 300196/94/2024-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2025

S.O. 1850(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Mysore Palace Board' (PAN: AAAGM0484M), a Board established under the Mysore Palace (Acquisition and Transfer) Act, 1998 in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:

(a) Income from Palace or proceeds of any property vested in the Board;
(b) All fees and charges levied by the Board under the Mysore Palace (Acquisition and Transfer) Act, 1998 and forming part of the Board fund;
(c) Rent received from the shops/stalls let out to Government Agencies; and
(d) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Mysore Palace Board–

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-25 to 2025-26 relevant for the financial years 2023-24 to 2024-25 and shall be applicable for assessment years 2026-27 to 2028-29 relevant for the financial years 2025-26 to 2027-28.

[Notification No. 39/2025/F. No. 300196/94/2024-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.24 21:43:57 +05'30'